

## राज्यपाल सचिवालय

राजभवन, जयपुर

प्रेषक:

सचिव,  
राज्यपाल, राजस्थान  
जयपुर।

प्रेषित:

कुलपति,

1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
4. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. जगदगुरु रामानन्दाचार्य राज० संस्कृत विश्वविद्यालय, मदाऊ, पो० भांकरोटा, जयपुर।
7. सर्वपल्ली डॉ० राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विभिन्न, जोधपुर।
8. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
9. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
10. रामामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विभिन्न, बीकानेर।
11. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
12. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
13. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
14. राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विभिन्न, बीकानेर।
15. सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दार्ढिक न्याय विभिन्न, जोधपुर।
16. पं० दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
17. महाराजा सूरज मल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
18. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
19. गोविन्द गुरु जन जातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
20. राजस्थान कीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूँ।
21. श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
22. कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
23. कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

क्रमांक: एफ.1(10)(ए)(1)आरबी/2016/३८२२

दिनांक १८ दिसम्बर, 2016

विषय :— नियुक्ति नियमों में संशोधन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं तथा अन्य शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तथ्य मानकों के अनुरूप संशोधित किये जाने हैं, अतः संबंधित नियम/परिनियम/अध्यादेश आदि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नवीनतम रेगुलेशन्स के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किये जाने संबंधी नियमानुसार कार्यवाही करावें एवं की गयी कार्यवाही से इस सचिवालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का श्रम करावें ताकि तदनुसार माननीय राज्यपाल महोदय को अवगत कराया जा सके।

इस संबंध में की गई कार्यवाही की समीक्षा आगामी कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21.02.2017 में किया जाना प्रस्तावित है।

भवदीया,

( कीर्ति शर्मा )

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा